

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. : 9067 / 22 / वि-12 / ग्रासविप्रा / टी-1 / 29पार्ट / 2018, भोपाल दिनांक 02/05/2018 प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास, प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई-

जिला - (म.प्र.)

विषय: प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में Primer Coat के बाद Tack Coat का उपयोग न करने के संबंध में।

संदर्भ: NRRDA का अर्द्धशासकीय पत्र क्र P-014(11)/1/2018-JD (Tech) दि. 23.03.18

--- 0 ---

उपरोक्त विषयांतर्गत में संदर्भित पत्र के माध्यम से NRRDA द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देश दिये गये हैं कि -

1. जहां भी Priming की गई Granular सतह के ऊपर प्रस्तावित Bituminous Layer की मोटाई 40 mm से अधिक हो वहां Tack Coat के प्रावधानों को विलोपित किया जावे। तथापि सभी Granular सतह पर जैसे WBM एवं WMM आदि पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार Prime Coat का उपयोग किया जावे।
2. Bituminous सतहों जैसे BM / DBM के ऊपर जहां आगामी Bituminous Layer के रूप में Pre Mix Carpet with seal coat, SDBC, BC आदि किये जाने हैं, तो इसके पूर्व Tack Coat का उपयोग MoRD Book of Specification के अनुसार किया जावे।
3. वर्तमान में प्रगतिरत एवं भविष्य में स्वीकृत होने वाले ऐसे कार्यों जहां पर डाली जाने वाली Bituminous Layer की मोटाई 40 mm से ज्यादा है वहां Prime Coat के ऊपर Tack Coat के उपयोग की प्रथा को बंद किया जावे, तथापि निर्धारित मापदण्डानुसार अनुसार सभी Granular सतहों जैसे WBM, WMM के ऊपर Prime Coat का उपयोग किया जावे। पूर्व से स्वीकृत कार्यों में Priming की गई Granular Layer के ऊपर Tack Coat के विलोपन का प्रकरण case to case bases पर एवं निर्माण स्तर (Stage of construction of work) के आधार पर प्रस्तुत किया जाये। जैसे ऐसे मार्ग जहां निर्माण स्तर टेक-मोर स्टेज तक न पहुंचा हो ऐसे कार्यों में परिवर्तित हो रहे Scope को संविदा की शर्तों के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित (Regularise) किया जा सकता है।

संदर्भ संदर्भ एवं विस्तृत जानकारी हेतु NRRDA के संदर्भित पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(पंकज इंदर)

मुख्य महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल (म.प्र.)

पृ. क्र. 9068 / 22 / वि-12 / ग्रासविप्रा / टी-1 / 29पार्ट / 2018, भोपाल दि. : 02 / 05 / 2018
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य महाप्रबंधक, (समस्त) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक, (समस्त) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
3. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
4. STA-MANIT भोपाल, STA-GSITS इन्दौर, STA-GEC जबलपुर एवं STA-MITS ग्वालियर।
5. गार्ड नस्ती, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
6. प्रबंधक (आई.टी.), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि यह पत्र MPRRDA की Website के Circular Section में upload करें।

मुख्य महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल (म.प्र.)

